

प्रेस विज्ञप्ति


दमोह जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की विकेंताविहीन शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु पात्र संस्थाओं से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं । उचित मूल्य दुकानों के नाम निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	शासकीय उचित मूल्य दुकानका नाम
1	हटा	निमरमुंडा
2	--	बोरीकला
3	--	बरखेरा चेन
4	--	गैसाबाद

उचित मूल्य दुकानों हेतु ऑनलाईन आवेदन विभागीय वेबसाईट www.rationmitra.nic.in के माध्यम से दिनांक 21.11.2022 से 28.11.2022 तक किये जा सकेंगे । विस्तृत जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) दमोह अथवा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है । पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत हार्डकापी संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में दिनांक 29.11.2022 तक जमा करे ।

ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु निम्नलिखित संस्थायें आवेदन कर सकती हैं ।

- (अ) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 10 की उपधारा (1)के अंतर्गत वर्गीकृत सोसायटी ,
(1) उपभोक्ता सोसायटी (2) विपणन सोसायटी (3) उत्पादक सोसायटी
(4) संसाधन सोसायटी (5) बहुप्रयोजन सोसायटी
- (ब) महिला स्व-सहायता समूह
(स) संयुक्त वन प्रबंध समिति


जिला आपूर्ति अधिकारी
दमोह


कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला दमोह

क्रमांक 608 /खाद्य/दुकान आवंटन/2022

दमोह , दिनांक 17.11.2022

प्रतिलिपि :-

1. उप संचालक , सूचना एवं प्रकाशन विभाग दमोह की ओर उक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
2. सहायक आयुक्त, सहकारिता दमोह
3. महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक दमोह
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) हटा
5. कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हटा जिला दमोह की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


जिला आपूर्ति अधिकारी
दमोह